

13-12-19 वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र

प्रस्तुत कर पत्रावली को पेशी
में लिये जाने काबत निवेदन किया
जान पर पत्रावली को पेशी
में लिया गया। प्रार्थना-पत्र
शाहील पत्रावली किया गया।
प्रार्थना-पत्र में प्रार्थीगण द्वारा
कथन कि पक्षकारोंवादीग
दावा में कोई कार्रवाई नहीं
चाहते हैं। दावा इसी स्तर
पर खारिज किया जावे।

अतः वादीगण के निवेदन पर
वादी वर्तमान स्तर पर खारि
किया जाता है। पत्रावली
नम्बर से काफ की जाकर
बाद तकमील दाखिल स्तर
है।

(कौजिल/यादव)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

